



# कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर



कायड़ चौराहा, भ.द.स. विश्वविद्यालय के पास, अजमेर

e-mail : govtlawcollegeajmer@gmail.com

Ph. : 0145-2787594

क्र.: राविमअ/प्रवेश/2024-25/222

दिनांक :23.09.2024

## संशोधित प्रवेश कार्यक्रम

राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर के पत्र क्रमांक राविमअ/प्रवेश/2024-25/205 दिनांक 12.09.2024 में एलएल.एम. प्रथम वर्ष, पीजीओएलएल एवं पीजीडीसएल (सत्र 2024-25) में अस्थायी प्रवेश हेतु ऑफलाईन आवेदन पत्रों का संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

विवरण	दिनांक	समय
प्रवेश आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	26.09.2024 (गुरुवार) तक	दोपहर 2.00 बजे तक
प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतरिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	30.09.2024 (सोमवार)	दोपहर 02.00 बजे तक
प्रकाशित सूचियों पर आपति दर्ज कराने की तिथि	30.09.2024 (सोमवार)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
अस्थायी प्रवेश हेतु अन्तिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	30.09.2024 (सोमवार)	शाम 5.00 बजे तक
अस्थायी प्रवेश हेतु शुल्क जमा कराने की वरीयता एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से डी.डी. प्राप्त करने की तिथियाँ	01.10.2024 (मंगलवार), से 04.10.2024 (शुक्रवार) तक	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 तक
अस्थायी प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	04.10.2024 (शुक्रवार)	शाम 5.00 बजे
कक्षा प्रारम्भ	05.10.2024 (शनिवार)	समय सारणी के अनुसार

विधि स्नाकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रतिशत :- **Gen. - 55%**, आरक्षित वर्ग-50%

### नोट:-

1. प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु <https://hte.rajasthan.gov.in/college/glcrajmer> की लिंक पर जाकर अथवा नोटिस बोर्ड पर QR स्कैन कर Common Admission form download करें।


पूर्ण रूप से भरे हुए अस्थायी प्रवेश आवेदन पत्र (Common Admission Form) के साथ निम्न सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न कर उपरोक्त तालिका अनुरूप तिथि व समय में महाविद्यालय में जमा कराना आवश्यक है।


2. 10<sup>th</sup> अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र (DOB)
3. 12<sup>th</sup> अंकतालिका
4. एलएल.एम. प्रथम वर्ष 2024-25 में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हकारी LL.B. (UG) / स्नातकोत्तर (PG) की सभी सत्र/वर्ष की अंकतालिका।
5. अंतिम संस्थान द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) व चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.)
6. राज्य सरकार के निर्देशानुसार फिर्सी वर्ग के आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी/एस.डी.एम. द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र 01 वर्ष हेतु एवं अण्डरटेकिंग के आधार पर आगामी 02 वर्ष तक ही मान्य है।

नोट:- OBC के वैध प्रमाण पत्र के स्थान पर नवीन OBC प्रमाण पत्र हेतु ई-मित्र पर किये गये आवेदन की रसीद किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी।

7. अभ्यर्थी के सेवारत कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र
8. गैप सर्टिफिकेट (महिला अभ्यर्थियों के अतिरिक्त)
9. अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट

[hte.rajasthan.gov.in](http://hte.rajasthan.gov.in), <http://hte.rajasthan.gov.in/college/glcajmer/> पर जाकर राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति 2023-24 एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के लीगल ऐजुकेशन रूल के संबंधित प्रावधान व उनके द्वारा जारी नवीनतम परिपत्रों का अवलोकन करें।


  
संयोजक  
(प्रवेश समिति)

  
प्राचार्य,  
राजकीय विधि महाविद्यालय,  
अजमेर  
दिनांक :23.09.2024

क्र.: राविमअ/प्रवेश./24-25/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. श्रीमान सम्पादक.....।
4. वेबपोर्टल।
5. नोटिस बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

  
प्राचार्य  
राजकीय विधि महाविद्यालय  
अजमेर